

डिक्री ब मुकद्देमें इब्दादाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D')

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी-दिव्या आर. ए. एस.

वादपत्र संख्या 20/2022 व 23/2023

अनुवान कुम्भाराम बनाम राजस्थान राज्य

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आर. टी. एक्ट

एवं धारा 136 एल. आर. एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सांवरमल सारण व श्री शंकरदास स्वामी एडवोकेट मिनजानिब मुदई पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है तथा वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि कृषि भूमि ख० नं० 685 तादादी 6.1600 हैक्टेयर रोही जयसंगसर तहसीलदार सरदारशहर एवं कृषि भूमि ख. नं. 122 तादादी 9.6900 हैक्टेयर रोही खेजड़ा उत्तरादा तहसील भानीपुरा वादी की खातेदारी कृषि भूमि है जिन भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम चेतनराम अशुद्ध दर्ज है जिसे वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं खोलायतनामा के आधार पर शुद्ध कर पीथा राम निम्नानुसार दर्ज करने के आदेश प्रतिवादी तहसीलदार भानीपुरा/सरदारशहर को दिये जाते हैं। शेष प्रविष्टियां यथावत रहेगी।

क्र. सं.	ग्राम	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	जयसंगसर	खाता संख्या नया 50 पुराना 48	कुम्भाराम पुत्र चेतनराम	कुम्भाराम पुत्र पीथा राम
2.	खेजड़ा उत्तरादा	खाता संख्या नया 35 पुराना 33	कुम्भाराम पुत्र चेतनराम	कुम्भाराम पुत्र पीथा राम

बीज

मुबलिंग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह

..... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक

अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 06 सन् 2025 को जारी की गई।



दस्तखत.....
उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (बुद्ध)
आहदा

मुदई	रुपया	पै.	मुदायलाहा	रुपया	पै.
स्टाम्प अरर्जीदावा	04	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प वजह सबूत	00	00	स्टाम्प वजह सबूत	00	00
महनताना वकील	00	00	महनताना वकील	00	00
खर्चा गवाहान	00	00	खर्चा गवाहान	00	00
फीस कमिश्नर	00	00	फीस कमिश्नर	00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00
मुतफर्रिक	04	00	मुतफर्रिक	00	00
मिजान	10	00	मिजान	00	00